न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः– 67/2008/रेफरेन्स
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

हरदयाल पुत्र महादेवाराम जाति जांगिड़ निवासी सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थी

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–05.02.2020**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 676/राजस्व/99 दिनांक 08.10.99 वास्ते राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद प्राप्त होने पर प्रथम दृष्टया अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त निर्णय के द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदारो की भूमि आराजी ख0 नं0 4 रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम कन्टेवा तहसील लक्ष्मणगढ का खाता अनुसूचित जाति से निम्न स्वर्ण जाति के खातेदारो के नाम खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। वर्णित भूमि से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त भूमि संवत 2012 मे मु0 लिछमडी कौम बलाई सा0 सनवाली के नाम दर्ज थी। तत्पश्चात उसके वारिसान के नाम हस्तान्तरित हुई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारों की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न जाति के खातेदारो के नाम हस्तान्तरित नही की जा सकता है। उक्त डिक्री आंदेश के अमल दरामद की कार्यवाही भूमिधारी द्वारा नही की गई। तत्पश्चात् पटवारी हल्का द्वारा भागू उर्फ भागला की मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम ग्राम कन्टेवा के ख0नं0 4, 26 का ना0 सं0 682 दिनांक 09.12.2005 को दर्ज किया गया, जो ग्राम पंचायत हमीरपुरा द्वारा दिनांक 20.12.2005 को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निर्णय लेते हुए ख0नं0 4 की खातेदारी उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के आदेश क्रमांक 676/राजस्व/99 दिनांक 08.10.99 के आधार पर हरदेवाराम पुत्र महादेवाराम जाति जागीड़ के नाम स्वीकार की गई तथा शेष ख0नं0 26 में मृतक भागला के हिस्सा 1/2 की विरासत उसके वारिसान के पक्ष में स्वीकार की गई है। ख0नं0 4 की खातेदारी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बजाय स्वर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में स्वीकार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (ख) के भूत लक्षी प्रभाव के मध्यनजर अवैध होने के कारण निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स योग्य है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री नोपाराम उपस्थित आये एवं जवाब आवेदन पेश किया। रेफरेन्स आवेदन एवं जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर के न्यायालय में दावा बेदखली अ0धारा 183(बी) रा.का.अधिनियम प्रकरण संख्या 61/95 अनुवानी पतासी बनाम हरदयाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.99 का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 27.09.99 में

अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम कन्टेवा के खसरा नम्बर 4 रकबा 1.35 है0 का खातेव काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 4 ता 7 लेखूराम, सो मु. धापी तथा किस्तुरी को जरिये शाश्वत आदेश के पाबन्द किया जाता है कि वे अप्रा संख्या 1 के खाते कब्जे उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें। ख फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को आदेश की अनुपालना हे तहरीर जारी हो।" प्रकरण के सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय में दा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा रिकार्ड दुरूस्ती प्रकरण संख्या 10/2011 अनुवानी बनारर देवी बनाम लेखू वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2014 का अवलोकन किया गया निर्णय दिनांक 19.05.2014 में अंकित किया गया है कि वादिया का वाद डिक्री किया जाक आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 1.35 है0 व खसरा नम्बर 26 रकबा 2.33 है0 तन ग्रा कन्टेवा के 1/3 भाग की खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। उक्त आराजी व वर्तमान रिकार्ड को निरस्त कर इसके स्थान पर वादिया को 1/3 हिस्सा, प्रति.सं. 1 ता को 1/3 हिस्सा व प्रति.सं. 4 व 5 को 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाये। इसी कदर डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस, जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रेफरेन्स आवेदन उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा प्रकरण संख्या 61/95 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.1999 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को लिखे जाने के पश्चात् तैयार कर भिजवाया गया है। प्रकरण में विवादग्रस्त आराजियात के बाबत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय द्वारा दावा उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा रिकार्ड दुरूस्ती दावा संख्या 10/2011 में दिनांक 19.05.2014 को निर्णय पारित किया जा चुका है, जो कि उक्त रेफरेन्स आवेदन न्यायालय हाजा में विचाराधीन रहने के दौरान किया गया है। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 10/2011 में पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2014 के सम्बंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने किसी तरह से न्यायालय हाजा को अवगत नहीं कराया है। वादग्रस्त आराजियात के रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति सम्बंधित दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः वादग्रस्त आराजियात के बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा दिनांक 19.05.2014 को निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने के उपरांत उक्त वादग्रस्त आराजियात की वर्तमान स्थिति सम्बंधित दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में विवादग्रस्त आराजियात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की जांच करते हुए प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाये जाने पर सम्पूर्ण दस्तावेजात एवं रिकार्ड के साथ पुनः आवेदन पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/2/20

(जयप्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2020.02.10 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: